संख्या-18/2017/1052 ई-2/तेरह-2017-37/1999

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 19 मई, 2017

विषय:-होटल क्रिस्टल सरोवर प्रीमियर यूनिट ऑफ श्री सरनाम रीयल एस्टेट प्रा0लि0 खसरा संख्या-2022-2025, ताज नगरी, फेस-2 फतेहाबाद रोड, आगरा में एफ0एल0-6ए(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-492/आब0सहा0/बार अनु0/एफ0एल0-6ए (समिश्र)/आगरा/2016-17, दिनांक 06 मई,2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके पत्र दिनांक 06 मई,2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-160/दस-लाइसैंस-12/खण्ड-9/ एफ0एल0-6,7//बार अनु0/आगरा, दिनांक 12 मई,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 सरनाम रीयल स्टेट प्रा0लि0 के नाम उनके द्वारा संचालित पांच सितारा होटल क्रिस्टल सरोवर प्रीमियर, खसरा संख्या-2022-2025, ताज नगरी, फेस-2, फतेहाबाद रोड, आगरा को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6ए (समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-18/2017-1052(1) ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-जी-160/दस-लाइसैंस-12/खण्ड-9/ एफ0एल0-6,7//बार अनु0/आगरा, दिनांक 12 मई,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

विनोद कुमार तिवारी

अनु सचिव।